

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प.25 (20) सा.प्र./4/2011

जयपुर दिनांक 17.10.17

1. प्रबंधक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, नई दिल्ली।
2. प्रबंधक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान।
3. प्रबंधक, ट्रांजिट होस्टल, गांधीनगर, जयपुर।

विषय:- बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का निस्तारण/नीलामी बाबत।
प्रसंग:- इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.07.14 एवं 09.09.14

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक पत्रों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 04.07.04 के अनुसार आपके कार्यालय के बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान के शत-प्रतिशत शीघ्र निस्तारण बाबत निर्देश प्रदान किए गये हैं। इस संबंध में आप द्वारा दी गई कार्यवाही/प्रगति से आदिनांक तक अवगत नहीं कराया गया है।

वित्त विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 31.12.2014 तक बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का शत-प्रतिशत निस्तारण अनिवार्यतः किया जाना है।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का नियत निर्धारित दिनांक से पूर्व शत-प्रतिशत निस्तारण नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अब तक की प्रगति से अविलम्ब विभाग को अवगत कराएँ।



(डॉ मनीष शुक्ला)
मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिलिपि:- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (सा0वि0ले0नि0) विभाग।

1
मुख्य लेखाधिकारी